न्यायालय सेशन न्यायाधीश, कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण व्यास
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या : 1296/2026
एफआईआर संख्या : 172/2026
अन्तर्गत धारा : 3/25 आयुध अधिनियम
पुलिस थाना : कुन्हाड़ी, कोटा शहर

कान्हा पुत्र किशनलाल, निवासी गौरी आश्रम के पास, बालिता रोड़, पुलिस थाना कुन्हाड़ी, कोटा शहर (राज.) ---प्रार्थी अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, कोटा ---विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित :-

1. विद्वान अधिवक्ता पुष्पा लालवानी, प्रार्थी अभियुक्त की ओर से
2. विद्वान लोक अभियोजक श्री मनोज पुरी, राज.राज्य की ओर से

आदेश दिनांक: 04.06.2026

1. प्रार्थी अभियुक्त कान्हा की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र उसके अधिवक्ता ने पेश किया, जिसकी नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने बहस के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये पक्षकथन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया जो न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है उसका उक्त अपराध से कोई सरोकार नहीं है, उसके विरूद्ध यह झूठा प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया है। प्रार्थी गरीब व्यक्त है तथा अपने परिवार में अकेला कमाने वाला सदस्य है। प्रार्थी अभियुक्त कोटा जिले का स्थायी निवासी है जिसके फरार होने व गवाहान को टेम्परविद किये जाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से पूर्व में इस न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही विचाराधीन है। उन्होंने प्रकरण के अनुसंधान तत्पश्चात विचारण में समय लगना बताते हुये प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थी अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Authenticated Document

4. उभय पक्ष को सुनकर उनके तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 29.05.2026 को परिवादी नरेन्द्र सिंह स.उ.नि. ने पुलिस थाना कुन्हाडी, कोटा के समक्ष एक फर्द जब्ती इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक को समय 04.25 पीएम पर रवाना होकर गश्त चैकिंग ईलाका करता हुआ सिगडी रेस्टोरेन्ट के पास पहुंचा, जहाँ पर जर्ये मुखबीर सूचना मिली सूचना के आधार पर सांकेतिक स्थान आम रोड बैंचमार्क सिटी, कुन्हाडी, कोटा शहर पर पहुंचे, जहां मुखवीर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति जाब्ते को देखकर तेज-तेज कदमों से जाने लगा, जिसे जाब्ते की मदद से घेरा देकर पकड़ा व यथास्थान पर खड़े रहने की हिदायत की गई। डिटेन शुदा व्यक्ति से नाम पता पूछा तो अपना नाम कान्हा पुत्र किशन लाल होना बताया, जिसकी नियमानुसार तलाशी ली गई तो पजामे की दाहिनी जेब से एक जिंदा कारतूस मिला। उक्त डिटेनशुदा शख्स से एक अवैध जिंदा कारतूस को अपने कब्जे में रखने बाबत अनुज्ञापत्र लाईसेंस चाहा गया तो कोई लाइसेंस नहीं होना बताया, इत्यादि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 172/2026 संस्थित की जाकर अन्वेषणाधीन है

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा S.B. Criminal Misc.Bail Application No.13513/2020 शीर्षक Jugal Vs State of Rajasthan में पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 की पालना में अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में निम्न आपराधिक प्रकरण संस्थित हुए हैं:-

क्र.सं.	मुकदमा नंबर	धारा	पुलिस थाना	सीएस नं.	रिमार्क
1	355/2015	13 आरपीजीओ	कुन्हाड़ी	241/2015	विचाराधीन
2.	383/2017	4/25 आर्म्स एक्ट	कुन्हाड़ी	324/2017	विचाराधीन
3.	627/2016	4/25 आर्म्स एक्ट	कुन्हाड़ी	454/2016	विचाराधीन
4.	174/2017	4/6 आरएनसी एक्ट	कुन्हाड़ी	140/2017	विचाराधीन
5.	147/2018	341, 323, 34 आईपीसी	कुन्हाड़ी	199/2018	विचाराधीन
6.	265/2023	379 आईपीसी	कुन्हाड़ी	175/2023	विचाराधीन
7.	151/2023	379 आईपीसी	कुन्हाड़ी	306/2023	विचाराधीन

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त पूर्व में कुल 07 प्रकरण संस्थित होना बताये गये हैं, जिनमें 02 प्रकरण चोरी के, 02 प्रकरण आयुध अधिनियम के, 01 प्रकरण धारा 13 आरपीजीओ तथा 01 प्रकरण आरएनसी एक्ट का सम्मिलित है एवं 01 प्रकरण साधारण उपहति कारित करने से संबंधित है। उक्त सभी प्रकरण वर्तमान में लम्बित होना बताये गये हैं। इस प्रकार प्रार्थी अभियुक्त की पूर्व की कोई दोषसिद्धि

Authenticated Document

अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अनुसंधान पत्रावली पर यह आया है कि प्रार्थी अभियुक्त के आधिपत्य से एक जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 29.05.2026 से पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में है, जिससे अब कोई अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप है, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे मत में इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. निष्कर्षतः प्रार्थी अभियुक्त कान्हा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से विचारण के दौरान अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में व भविष्य में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त के साथ राशि 30 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं राशि 15-15 हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभू (प्रतिभूदाता के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की दो-दो फोटो प्रति सहित), विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दिया जावे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

8. इस जमानत आवेदन में किये गये विवेचन का प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. आदेश की एक प्रति मय पत्रावली विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाये। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP (Criminal) No. 04/2021 In Re Policy Strategy for Grant of Bail & SLP (Cri.) No. 529/2021 वाले मामले में दिये गये आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में इस जमानत आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, कोटा को भी जरिये ई-मेल प्रेषित की जाये।

(सत्यनारायण व्यास)

10. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण व्यास)

Authenticated Document

ASHISH JANGID
Digitally signed by ASHISH JANGID
Date: 2026.06.04 13:43:00 +0530